भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4372

जिसका उत्तर 27.03.2025 को दिया जाना है

असंगठित सड़क परिवहन कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

4372. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि
(क) क्या सरकार चालकों और ऑटो रिक्शा कामगारों सहित असंगठित सड़क परिवहन कामगारों के लिए भविष्य निधि (पीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) जैसे सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों की कमी से अवगत है, और
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उक्त प्रावधानों का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) अधिनियम, 1948 के प्रावधान असंगठित क्षेत्र, जिसमें असंगठित सड़क परिवहन कामगार शामिल हैं, पर लागू नहीं हैं। सरकार ने मौजूदा नौ केंद्रीय अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को समाहित, सरलीकृत और युक्तिसंगत बनाने के बाद सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तैयार की है। उक्त संहिता (कोड) में अन्य बातों के साथ-साथ असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों तथा उनके परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।
सरकार ने 26 अगस्त, 2021 को आधार से जुड़े असंगठित कामगारों (एनडीयूडब्लयू) का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण और सहायता करना है। ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) के साथ भी एकीकृत किया गया है, जो 18-40 वर्ष की आयु के असंगठित कामगारों के लिए एक पेंशन योजना है। यह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 3000/- रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करता है। यूएएन का उपयोग करके कोई भी असंगठित कामगार आसानी से पीएम-एसवाईएम के तहत नामांकन कर सकता है। इस योजना में, 50 प्रतिशत अंशदान सरकार द्वारा वहन किया जाता है और शेष राशि कामगार द्वारा दी जाती है। अब तक, 12 विभिन्न योजनाओं को पहले ही ई-श्रम के साथ एकीकृत किया/जोड़ा जा चुका है।

*****